

फर्द अहकाम

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी गिर्वा, उदयपुर

अभिज्ञ

विपक्षी

35 पल/ल

मुकदमा

प्र. प्र

पत्रावली संख्या

166/2

कार्यवाही विवरण

1.7.24

पत्रावली पेशा हुई। धार्मिक-नियंत्रण अध्यापिका प्रकरण का मूलवाद अदम हाजरी. अदम पंखी में वारिज हो चुका है। जिससे अब इस प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नहीं रहती है।

अतः धार्मिक एवं इलेक्टर पर आदेश 9 नियम 8 के तहत अदम हाजरी- अदम पंखी में वारिज किया जाना है। निर्णय के इजलास सुनाया गया प्रकरण फलवशुगा (होम नम्बर से कम है।

(रिया डबि)

DAS